भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2536

11 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

धान खरीद संकट

2536. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अनुकूल मौसम की स्थिति के बावजूद पंजाब 25 वर्षों में अपने सबसे खराब धान खरीद संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो खरीद प्रक्रिया में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने मिल मालिकों से पिछले वर्ष का 2 लाख टन चावल नहीं खरीदा, जिससे राज्य के गोदाम भर गए और गेहूं तथा चावल की आवाजाही अवरूद्ध हो गई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) भंडारण सीमाओं के कारण निजी चावल मिल मालिकों द्वारा धान का भंडारण करने से इनकार करने, एफसीआई मानकों को पूरा न करने वाले संकर धान की किस्मों के मुद्दे तथा श्रम और कमीशन व्यवस्था की चुनौतियों पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख) : पंजाब राज्य में केएमएस 2024-25 के लिए धान की खरीद अवधि दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 30.11.2024 तक थी। पंजाब की मंडी में 173 लाख टन की कुल आमद रिपोर्ट की गई थी जबकि एफसीआई सहित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा आढ़तियों के माध्यम से 172 लाख टन धान की खरीद की गई थी। लगभग समस्त धान का उठान कर लिया गया है और राज्य द्वारा आबंटित चावल मिलों में भंडारित कर लिया गया है।

लगभग 1823 अधिसूचित मंडियों के अलावा, एमएसपी पर धान की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा 951 सार्वजनिक स्थानों सह अस्थायी यार्डों को संचालित किया गया था।

...2/-

(ग) और (घ) : खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में, 125.13 लाख टन देय चावल में से, 125.05 लाख टन केन्द्रीय पूल को सौंप दिया गया है और केवल 0.08 लाख टन चावल शेष है।

(ड.) : पहले से ही भंडारित खाद्यान्नों के स्टॉक को समाप्त करके आमद स्टॉक की प्राप्ति/भंडारण के लिए गोदाम निर्मित/खाली करना एक निरंतर प्रक्रिया है। धान की मौजूदा फसल की मिलिंग के पश्चात्, चावल की प्राप्ति/भंडारण के लिए उपलब्ध अतिरिक्त भंडारण क्षमता को तैयार करने के लिए, राज्य में कवर्ड गोदामों में रखे गए गेहूं के स्टॉक के संचलन/समाप्त करने को वरीयता देने, अतिरिक्त भंडारण क्षमता को किराए पर लेने, पंजाब से अतिरिक्त चावल को बाहर भेजने जैसे उपाय किए जाते हैं।

राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा 4855 पंजीकृत मिलर्स को लगभग समस्त धान आबंटित कर दिया गया है ताकि संयुक्त कस्टडी और मिलिंग के तहत उसका भंडारण किया जा सके।

पंजाब में उगाए जाने वाली नई हाइब्रिड किस्म की धान से संबंधित मामलों के विषय में, उपज से संबंधित मुद्दे पर आईआईटी खड़गपुर को एक अध्ययन सौंपा गया है।

कमीशन एजेंट, श्रमिक संविदाकार और ट्रांस्पोर्ट ठेकेदार के माध्यम से धान की खरीद कर संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

******